

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 2/2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

साठकाठनि.... (अ) - केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर उद्घाटनीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

### अनुसूची

क्रम सं	अध्यायउपशीर्ष/शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	0101	जीवित, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरे
5.	0105	जीवित कुकुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टर्कीज़ और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणी का मांस, ताज़ा और द्रुतशीति
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
9.	0203	सुअर का मांस, ताज़ा, द्रुतशीति या हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताज़ा, द्रुतशीति या हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताज़ा, द्रुतशीति या हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
12.	0206	गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य अवशिष्ट, ताज़ा, द्रुतशीति या हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
13.	0207	शीर्ष के कुकुट का मांस और खाद्य 0105 अवशिष्ट, ताज़ा, द्रुतशीति या हिमशीति [हिमशीति से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]

14.	0208	अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे
18.	3	मछलीबीज, झींगाझींगी बीज़ जो पृसंस्कृत/, संसाधित या हिमशीतित अवस्था में हैं या नहीं [अध्याय के अंतर्गत आने वाले ऐसे मालों से 3 भिन्न, जिन पर 2.प्रतिशत कर लागू है 5]
19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, ताज़ी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष के मछली 0304 कतले और अन्य मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), ताजी या द्रुतशीतित
22.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ी या द्रुतशीतित
23.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताजी, द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अक्षेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अक्षेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित
25.	0401	अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताज़ा दूध और पास्तुरीकृत दूध, जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं।
26.	0403	दही; लस्सी छाछ
27.	0406	छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
28.	0407	पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो
30.	0501	मानव केश, अकर्मित, चाहे धुले या अभिमार्जित हैं या नहीं ; मानव केश के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियाँ और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल निर्मित अम्लोपचारित या (किन्तु आकार में आकर्तित) अजिलेटिवीकृत हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट

32.	90 0507	सभी माल अर्थात् खुर अवचूर्ण, सींग अवचूर्ण ; खुर, नखर, नख, और चौंच ; मृगशश्रृंग; आदि
33.	0511	शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है
34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत पर्ण समूह
35.	0701	आलूताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटरताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ; ताजी या द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहल्बी, केल और उसी प्रकार के खाद्य व्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39.	0705	लेट्यूस साइकोरियम सभी जातियां) और कासनी (लैक्टूका सैटाइवा) (, ताजे या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलसिफी, सेलेरिएक मूली और वैसी ही खाद्य जड़ें ताजी या द्रुतशीतित
41.	0707	खीरादि और घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित
42.	0708	कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्क वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं, किन्तु और निर्मित नहीं हैं
45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं
46.	0714	मेनिओक, अरारूट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित ; साबुदाने कापिथ
47.	0801	नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
48.	0801	ब्राजील नटताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं या नहीं ,
49.	0802	अन्य दृढ़ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेज़लनट या फ़िलबर्ट, (कोरिअस सभी प्रजातियां), अखरोट, चेस्टनट कास्टानिया सभी ) (जातियां, एरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं
50.	0803	केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहारा, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मेंगोस्टीम, ताजे
52.	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन ) (और सटसूमसयी हैं; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम और लाइम ( निम्बुकुलआरन्टीफोलिया), निम्बुकुल लैटिफोलिया (, ताजे
53.	0806	अंगूर, ताजे
54.	0807	तरबूजादि और पपीते (जिसके अंतर्गत तरबूज है), ताजे

55.	0808	सेब, नाशपती और कविन्स, ताजे
56.	0809	खुमानी, चैरी, आडु (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं), आलू बुखारा और स्लो, ताजे
57.	0810	अन्य फल जैस की स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूँजबेरी, करोंदा, बिलबेरी, और वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, डयूरियन्स, पर्सिमोन्स, अनार, इमली, सपोटा, (चीकू) , शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे
58.	0814	निम्बुकुल फल या तरबूजादि के (जिसके अंतर्गत तरबूज भी हैं) छिलके, ताजे
59.	9	बीज किस्म के सभी माल
60.	0901	कॉफी बीन्स, अभर्जित
61.	0902	चाय की अप्रसंस्करित हरी परतियां
62.	0909	सौंफ बड़ी , बेड़ियन ,सौंफसफेद जीरा या काला जीरा के ,धनिया , बीज; हपुषा बेरी (की बीज कालिटी)
63.	10 11 0910	ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
64.	10 30 0910	ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलीन [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
66.	1002	राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
67.	1003	जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
68.	1004	जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
69.	1005	मक्का (कार्न) [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
70.	1006	चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
71.	1007	ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
72.	1008	कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज़ ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
73.	1101	गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
74.	1102	गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न, धान्य आटा [मक्का आटा (कार्न), राई आटा, आदि] [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
75.	1103	धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]

76.	1104	धान्य दाना, तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
78.	1106	शीर्ष का आटा (दालों) के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों 0713[1106 के गवार गोंद 90 10 1106 के गवार अवचूर्ण और 10 10 परिष्कृत से भिन्न], साबूदाने या शीर्ष की जड़ों या कंदों या 0714 के उत्पादों अर्थात् हल्दी 8 अध्याय, सिंगाड़े का आटा, आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिसे किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
79.	12	बीज क्वालिटी के सभी माल
80.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी है अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
81.	1202	मूंगफली, जो भर्जित अन्यथा पकाई गई नहीं है, चाहे कवच रहित या टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोल्जा बीज, चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
84.	1206	सूर्यमुखी के बीज़ चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्यादक फल अर्थात् ताड़फल और गिरी), बिनौले, एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसंभम बीज (करथोमस टिंकटोरियस), खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजाम्स, आमगुठली, नाइजर बीज, कोकमचाहे टूटे हों अथवा (नहीं, बीज क्वालिटी की
86.	1209	बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणू, जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं
87.	1210	हाप कोन, ताजे
88.	1211	उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग जिसके अंतर्गत बीज और ) (फल भी हैं, जिनका उपयोग मुख्यतसुगंध सामग्री : , फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदीनाशी के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या द्रुतशीतित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित
90.	1213	धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या गुटिका के रूप में है अथवा नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (अल्फाफा), क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन, वैचिस और वैसा ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं
92.	1301	लाख और शत्क लाख
93.	40 90 1404	पान के पत्ते
94.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़) और पालमिरा गुड़ सम्मिलित है
95.	1904	फुला हुआ चावल, जो समान्यतमुरी के नाम से ज्ञात है : , सपाटिया कुटा हुआ चावल, जो समान्यतच्यूड़ा के नाम से ज्ञात है : , सूखा

		चावल, जो समान्यतयोर्वा के नाम से ज्ञात है : , सूखा धान या चीनी अथवा गुड़ से विलेपित चावल, जो समान्यतमुर्का के नाम से ज्ञात है,
96.	1905	पापड़, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए दिए जाते हैं
97.	1905	डबल रोटी सिवाय तब के जब उसे उपभोग (ब्रांडीकृत या अन्यथा) के लिए और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है ।
98.	2106	मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर दिया जाने वाला प्रसाद
99.	2201	जल [वातित, खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्सीय, आयनिक, बैटरी, विखनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से भिन्न]
100.	2201	गैर अल्कोहाली टोडी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है
101	90 90 2202	युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले मृदु नारियल जल से भिन्न
102.	2302,2304 , 2305, 2306,2308,2309	जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक
103.	00 00 2716	विद्युतीय ऊर्जा
104.	2501	नमक, सभी किस्मों के [2501]
105.	2835	भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470: के अनुरूप पशु खाद्य 2002 (डीसीपी) ग्रेड का डाइकैलशियम फ़ास्फेट
106.	3002	मानव रक्त और उसके संघटक
107.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
108.	3101	सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]
109.	3304	काजल [काजल पैसिल स्टिकों से भिन्न], कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता
110.	3825	नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट
111.	3926	प्लास्टिक चूड़ियाँ
112.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
113.	4401	जलावन काष्ठ, ईंधन काष्ठ
114.	4402	काष्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोष या दृढ़फल चारकोल भी है), चाहे वह संपीड़ित है अथवा नहीं
115.	4802/4907	न्यायिक, न्यायेतर स्टांप पेपर, न्यायालय फीस स्टांप, जब उनका सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किया जाए
116.	4817/4907	डाक संबंधी मद्दें जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि
117.	48/4907	रूपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाए
118.	4907	चैक, खुली हुई या पुस्तक रूप में

119.	4901	मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्लेल पुस्तकें भी हैं
120.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नियत कालिक पत्रिकाएं, चाहें चित्रनिरूपित हों अथवा नहीं या चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं
121.	4903	बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें
122.	4905	सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित
123.	5001	रेशम कीट रखना, कोया
124.	5002	अपरिष्कृत रेशम
125.	5003	रेशम अपशिष्ट
126.	5101	ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
127.	5102	सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है
128.	5103	ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट
129.	52	गांधी टोपी
130.	52	खादी सूत
131.	5303	जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं
132.	5305	नारियल, कयर रेशे
133.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
134.	6703	मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित
135.	40 00 6912	मिट्टी के बर्टन और मृतिका लैंप
136.	7018	कांच की चूड़ियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय)
137.	8201	मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार, जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है
138.	8445	अंबर चरखा
139.	8446	हथकरघा (व्यूतन मशीन)
140.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान और उपकक्षीय तथा (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान
141.	8803	शीर्ष सं के माल के पुर्जे 8801 0
142.	9021	श्रवण सहायिकी
143.	92	देशीहस्तनिर्मित वाद्य यंत्र
144.	9603	सरकंडे और फूल बहारी झाड़ से बने मोढे
145.	9609	स्लेट पैसिलें और चाक स्टिक
146.	00 00 9610	स्लेटें
147.	9803	यात्री सामान
148.	अन्य अध्याय	पूजा सामग्री, अर्थात् --: ) i रुद्राक्ष (, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य गाय के ) गोबर, देशी घी, दूध और दही का मिश्रण (; ) ii :जो सामान्यता पवित्रधागा (यज्ञोपवीत के नाम से ज्ञात है(;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>)iii लकड़ी की खड़ाऊं (;</li> <li>)iv पंचामृत (;</li> <li>)v धार्मिक संस्थाओं द्वारा विक्रीत भभूति (;</li> <li>)vi अब्रांडीकृत शहद ([प्रस्तावित जीशून्य .टी.सी.] ;</li> <li>)vii दीये के लिए बाती (;</li> <li>)viii रोली (;</li> <li>)ix (रक्षासूत्र) कलावा (;</li> <li>)x चंदन टीका ।(</li> </ul>
149.	-	राज्य सरकारसंघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी , व्यक्ति द्वारा लाटरी का पूर्ति, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की पूर्ति पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगता है ।

स्पष्टीकरण— इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,—

(i) “इकाई आधान” पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्टर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ii) “रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम” पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

(iii) “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार